"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 583] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2026 — अश्विन 15, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2026

अधिसूचना

क्रमांक LAND/1954/2025-HOUSING.— राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन, नवा रायपुर अटल नगर के लेयर–।।। के अंतर्गत, ग्राम रमचंडी एवं बरौदा, तहसील मंदिर हसौद, जिला रायपुर में प्रस्तावित नगर विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन की, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी सूचना क्रमांक 7012/5(1)/नि.प्र. 2026 दिनांक 25–09–2026 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 सितंबर 2026

नगर विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

(छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020 के नियम 27(2) एवं प्रारूप-XXVI के अनुसार)

क्र. 7012/5(1)/नि.प्र. 2026.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्र. 23 सन 1973) की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा नवा रायपुर अटल नगर के लेयर - III के अंतर्गत, ग्राम रमचंडी एवं बरौदा, तहसील मंदिर हसौद के कुल 88.297 हे० क्षेत्र के लिए नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है -

(1) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर
(3) जिला कलेक्टर, जिला रायपुर

उसकी प्रति नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://navaraipuratalnagar.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।

यह अधिसूचना, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23, 1973) की धारा 50 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ग्राम रमचंडी एवं बरौदा, तहसील मंदिर हसौद के अंतर्गत कुल 88.297 हे० क्षेत्र के लिए नगर विकास योजना घोषित करने के आशय से संबंधित पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 3514/5(1)/नि.प्र. दिनांक 7 मई 2026 के अनुक्रम में है।

इस अधिसूचना में यहां प्रकाशित अंतिम भूखंडों की सूची को भू-स्वामित्व या भू-अभिलेखों के सत्यापन के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग के अद्यतन भू-अभिलेखों के अनुसार सत्यापन के अधीन होगा। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23, 1973) की धारा 50 की उप-धारा (8) के अधीन योजना को अंतिम रूप देने के बाद अंतिम भूखंडों का आवंटन और उसके बाद अंतिम भूखंडों का कब्जा, भूस्वामी के अद्यतन और प्रमाणित भू-स्वामित्व अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो इस नगर विकास योजना से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।

हस्ता./-

(चंदन कुमार)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नवा रायपुर अटल नगर विकास
प्राधिकरण

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.